फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पांचीदेवी वगैरह बनाम जिमनादेवी वगैरह

किस्म मुकदमा 225 मुकदमा नंबर 18 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.02.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से पत्रावली आज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर फास्टट्रेक जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/22 बउनवान जिमनादेवी बनाम हराराम मे पारित आदेश दिनांक 09.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट पांचीदेवी ने स्वंय उपस्थित होकर स्थगन प्रार्थना पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट पांचीदेवी की स्थगन प्रार्थना पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट पांचीदेवी ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदरी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट का नाम दर्ज है एवं मौके पर आज दिन तक अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। जिससे अपीलांट का अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। अपीलांट पांचीदेवी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट जिमनादेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम व्यादेश पारित कर आगामी पेशी दिनांक 12.04.2022 नियत की गई है। उसके पश्चात आदिनांक तक लगभग 01 वर्ष तक प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कोई विधिवत कार्यवाही नहीं की गई है। कानूनन आदेश 39 नियम 03 सी.पी. सी के प्रावधानो का पूर्णतया उल्लघंन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के कारण एवं आदिनांक तक मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांटगण अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। अत प्रकरण मे अंतरिम व्यादेश इस अमर का सादिर किया जाता है कि सहायक कलक्टर फास्टट्रेक जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/22 बउनवान जिमनादेवी बनाम हराराम मे पारित आदेश दिनांक 09.03.2022 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। हालांकि अपीलांट द्वारा उक्त अपील अंतरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत होगा। ऐसी परिस्थिति को मदेनजर रखते हुए सहायक कलक्टर जैतारण फास्टट्रेक को आदेशित किया जाता है कि आपके समक्ष लंबित अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2022 बउनवान जिमनादेवी बनाम हराराम वगैरह के अन्तर्गत समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह के अन्तर्गत विधिसम्मत आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली